न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2022	2022/75	23.03.2022	31.08.2022

उनवान प्रकरण

1. बाबूलाल उम्र 57 वर्ष
2. सागरमल उम्र 44 साल

पुत्रगण बालूराम समस्त जाति कुम्हार–कुमावत निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादीगण

बनाम

1. शंकर लाल उम्र 27 साल
2. हरि उम्र 24 साल
3. किशन उम्र 22 साल

   पुत्रगण स्व0 छीतर
4. श्रवणी देवी पत्नि स्व0 छीतर उम्र 58 साल
5. संजू उम्र 42 साल
6. ममता उम्र 41 साल
7. सुमन उम्र 38 साल
8. सरोज उम्र 35 साल

   पुत्रीयां स्व0 छीतर
9. अशोक कुमार उम्र 34 साल
10. विजय कुमार उम्र 38 साल

    पुत्रगण स्व0 कालूराम
11. मीनाक्षी देवी उम्र 40 साल
12. लक्ष्मी देवी उम्र 38 साल

    पुत्रीयॉ स्व0 कालूराम
13. मंजू उम्र 50 साल
14. संतोष उर्फ कमला उम्र 49 साल

    पुत्रीयॉ बालूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:41 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

समस्त जाति कुम्हार कुमावत निवासी ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
15 भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

उपस्थित—

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री सुभाष यादव, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14, अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से ।

वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2293, 2294 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टर तन ग्राम मूण्डरू पटवार हल्का मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम एंव प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालु एंव मृत्तका बरजी पत्नि बालू एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2272, 2273, 2275 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम एंव प्रतिवादी संख्या 9 ता 14 एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालूराम एंव मृत्तका बरजी पत्नि बालूराम एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 329, 330 कुल किता 2 कुल [illegible] 1.1700 [illegible] ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पु[illegible] संख्या 9 ता 12 एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालूराम व मृत्तका बरजी पत्नि बालू जिसका राजस्व रिकार्ड में गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:41 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से बरजी पत्नि कालू अंकित कर रखा है एवं मृतका भागा देवी पत्नी कालू के नाम दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 आपस में एक ही परिवार खानदान से है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान से स्पष्ट है तथा घीसा की पत्नी बिदामी देवी को घीसा की मृत्यु उपरान्त बालू पुत्र मांगू का चूड़ा पहना दिया था एवं उक्त कृषि भूमियॉ पक्षकारान् की पैतृक कृषि भूमियॉ है एंव उक्त पैतृक भूमियों पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 हिस्सानुसार हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 1 एंव हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 2 एंव हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिस्सा बराबर–बराबर एंव हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 बहिस्सा बराबर–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादिया संख्या 13 व 14 मृत्तक बालूराम पुत्र मांगू की पुत्रियॉ है जो शादी शुदा होकर स्थायी रूप से ससुराल रह रही है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 329, 330 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में मृतका बरजी पत्नि बालू को राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बरजी पत्नि कालू अंकित कर रखा है जिसको बरजी पत्नि कालू के स्थान पर बरजी पत्नि बालू दुरूस्त किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने एंव दुरूस्ती करवाने हेतु कहा तो दिनांक 05.03.2022 को इन्कार हो गये एंव वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर अदालत मे बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिए दावा पेश कर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की ओर से श्री सुभाष यादव एड0 ने राज[illegible]लय में पेश कर तस्दीक कराया है। प्रतिवादी संख्या 15 की [illegible] करवाई गई। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी [illegible]या 15 के विरूद्ध एक पक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:41 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2240/भू.अ./2022 दिनांक 10.08.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश हो जाने से एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत किये गये राजीनामा, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम एंव प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालू एंव मृत्तका बरजी पत्नि बालू एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा वादीगण के अलावा अन्य समस्त खातेदारान् का फौत होना प्रकट होता है। मृत्तका बरजी पत्नी बालू को राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बरजी पत्नी कालू अंकित होना प्रमाणित होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:41 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, दुरुस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम मुण्डरू पटवार हल्का मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2293, 2294 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4100 हैक्टर मे वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 को हिस्सानुसार हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 1 को एंव हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 2 को एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को बहिस्सा बराबर–बराबर एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम का नाम एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालु एंव मृत्तका बरजी पत्नी बालू एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार तन् ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2272, 2273, 2275 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टर में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को हिस्सानुसार हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 1 को एंव हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 2 को एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को बहिस्सा बराबर–बराबर एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम एंव प्रतिवादी संख्या 13 व 14 एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालुराम एंव मृत्तका बरजी पत्नी बालूराम एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू का नाम हजफ किया जाता है। इसी प्रकार तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]9, 330 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 हैक्टर में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:15:41 IST
Reason: SelfAttested

31/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हिस्सानुसार हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 1 को एंव हिस्सा 1/4 का वादी संख्या 2 को एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को बहिस्सा बराबर–बराबर एंव हिस्सा 1/4 का प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 12 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के पिता–पति स्वर्गीय छीतर पुत्र बालूराम का नाम एंव मृत्तका बिदामी पत्नी बालु एंव मृत्तका भागा देवी पत्नी कालू एंव मृत्तका बरजी पत्नी बालू जिसको राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से बरजी पत्नी कालू अंकित कर रखा है उसको बरजी पत्नी कालू के स्थान पर बरजी पत्नी बालू दुरूस्त करते हुए उसका नाम हजफ किया जाता है एंव उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी वादीगण एंव प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 12 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

31/08/22

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी ... (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/08/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:45:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर (सीकर)